नवीन शीतगृह के निर्माण/लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु विभागीय प्रक्रिया-

(क) शीतगृह के निर्माण/लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इच्छुक उद्यमी को पहले लाईसेन्स अधिकारी (शीतगृह) से निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करके निर्माण प्रारम्भ किया जाता है, जिसके लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी **(लेबल-1)** को प्रस्तुत किया जाता है, जिला उद्यान अधिकारी द्वारा 10 दिन में कार्यवाही पूर्ण कर मण्डलीय उप निदेशक उद्यान **(लेबल-2)** को उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर मण्डलीय उप निदेशक उद्यान द्वारा 05 दिन में अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक/लाइसेसिंग अधिकारी (शीतगृह), उ0प्र0 **(लेबल-3)** को प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर लाइसेंसिंग अधिकारी **(लेबल-3)** द्वारा उपलब्ध प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त प्रपत्र पूर्ण होने पर 10 दिन के अन्दर निमार्ण अनुज्ञा/लाइसेन्स जारी किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार अभिलेखों की आवश्यकता होती है।

<u>1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूपः-</u>

<u>उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत नये शीतगृह निर्माण/कक्ष विस्तार की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्रः-</u>

1.(अ) प्रार्थी का नाम व पता- (ब) मालिक/भागीदारी/निदेशक के नाम व पता, संस्था पंजीकरण/पार्टनर शिप डीड की पंजीकृत प्रति	
2. भूमि का विवरणः- (अ) स्थित (ब) क्षेत्रफल (स)भूमि क्रय की तिथि (परचेज बुकिंग की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।)	
3. मशीनरी एवं इन्शुलेशन का विवरणः- 1. क्रय की गई/क्रय की जाने वाली मशीनरी का विवरण 2. साधन 3. इन्शुलेशन (अ) दीवार (ब) फर्श (स) छत (सीलिंग)	
4. **शीतगृह की क्षमताः-** 1. कक्षों की संख्या- 2. कक्षों की आन्तरिक माप मीटर में ऊँचाई सहित 3. शीतगृह की कुल भण्डारण क्षमता (घ0मी0 में) 4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की प्रस्तावित तिथि	
5. भण्डारण हेतु खाद्य सामग्री जैसे- आलू, सेब सन्तरा आदि की उपलब्धि- 1. खाद्य सामग्री जिसका भण्डारण किया जायेगा का लाभ 2. उपलब्धि के साधन/दोष	
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर तथा उसके 30 किमी क्षेत्र में स्थित शीतगृहों की संख्या-	
7. प्रस्तावित शीतगृह/शीतगृह विस्तार के निर्माण औचित्य	
8. **विद्युत भार की उपलब्धताः-** 1. विद्युत भार की आवश्यकता 2. विद्युत भार की आवश्यकता हेतु किये गये उपाय/यदि विद्युत भार स्वीकृति हो गयी है तो उसके आदेश की प्रति संलग्न करें। 3. यदि विद्युत व्यवस्था उपलब्ध नही है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण दें।	
9. पानी की आवश्यकताः- (अ) पानी की मात्रा की आवश्यकता (ब) पानी आपूर्ति किये गये उपाय	
10. वित्तीय संसाधन का श्रोतः- यदि वित्तीय सहायता बैंक/उ0प्र0 वित्त निगम से प्राप्त की गयी है तो स्वीकृति की धनराशि एवं तिथि का उल्लेख करें, तथा सम्बन्धित बैंक/उ0प्र0, वित्त निगम की स्वीकृति बैंक/उ0प्र0 वित्त निगम की स्वीकृति- पत्र की प्रमाणित प्रति दे।	

दिनांक आवेदक /(आवेदकों) के हस्ताक्षर

उक्त आवेदन पत्र के साथ निर्माण अनुज्ञा हेतु निम्न प्रपत्र अनिवार्य है, जो निम्नवत् है:-

1. विद्युत स्वीकृति की फोटो प्रति
2. <u>भूमि स्वामित्व का विवरण</u>
   (क) भूमि का क्षेत्रफल
   (ख) बैनामा/खतौनी की प्रति
   (ग) भूमि किरायानामा पर है या नही

(1) नोट-यदि भूमि लीज/किरायानामा पर है तो पंजीकृत प्रपत्र
(2) यदि कोल्ड स्टोरेज प्रा0लि0 कम्पनी में चलाया जा रहा है तो भूमि का स्वामित्व कम्पनी के नाम होने के अभिलेख

3. प्रस्तावित कोल्ड स्टोरेज का मानचित्र नियमावली के प्राविधानो के अनुसार।
(क) साइट प्लान
(ख) डिटेल प्लान
(ग) मानचित्र में प्रीकूलिंग चैम्बर का प्राविधान।

4. यदि कारोबार प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा किया जायेगा तो मेमोरण्डम आफ आर्टिकल्स और यदि पार्टनरशिप में किया जा रहा है तो फर्म निबन्धक से पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
6. धारा 143/80 के अर्न्तगत भूमि अकृषक सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
7. अग्नि शमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
8. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
9.जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकरण।